<u>प्रेस नोट</u>

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 03.08.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 249/26 धारा 304(2)/61(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त लवकुश ठाकुर पुत्र स्व0 बच्चू सिंह सेंगर निवासी कुटरा मकरंदपुर थाना सजेती जनपद कानपुर नगर (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0 360/19 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त नासिर पुत्र खुर्शीद अली ग्राम हरिहरपुर थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 730/20 धारा 354(ए)/506 भादवि0 व धारा 9/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भानु प्रताप पुत्र कृपाशंकर निवासी ग्राम मालगांव थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त जाकिर उर्फ सैफ पुत्र गुलाम रसूल निवासी उतरी खेलदार थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर, को रास्ते पर आने-जाने वाली महिलाओं को देखकर अभद्र टिप्पणी करने व फब्तियां कसने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर अ0सं0 42/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र बलवीर सिंह, 2. सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार, 3. रिंकू पुत्र जसवन्त सिंह निवासीगण ग्राम सिंहपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज व 4. अंशू कुमार पुत्र जयचन्द कुमार निवासी ग्राम कंचौसी थाना दिबियापुर जनपद औरैया, को धर्मगढ़ बाबा मन्दिर से दर्शन करके ट्रैक्टर से जा रही लड़कियों को देखकर अश्लील गाने गाना व गन्दे इशारे करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर अ0सं0 257/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 21 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।